



### अधिसूचना

एतद्वारा जिला समाज कल्याण अधिकारी सिद्धार्थनगर के पत्रांक C-912/स0क0/दशा0छात्र0/समय-सारणी/2024-25 दिनांक-28.02.2025 द्वारा सिद्धार्थ विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त संस्थाओं में सक्षम स्तर पर स्वीकृति सीटों के सापेक्ष मास्टर डाटा में कम सीट लाक किया है, समस्त संस्थान सीटों की संख्या को रीसेट करते हुए सीटों की सही संख्या को डिजिटल हस्ताक्षर से लॉक करने का निर्देश प्राप्त है। जिसके क्रम में सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर से सम्बद्ध के समस्त राजकीय, अनुदानित एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों के प्रबन्धक/प्राचार्य/प्राचार्या को सूचित किया जाता है कि दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त संस्थाओं में सक्षम स्तर पर स्वीकृति सीटों के सापेक्ष मास्टर डाटा में कम सीट लाक किया है, समस्त संस्थान सीटों की संख्या को रीसेट करते हुए सीटों की सही संख्या को डिजिटल हस्ताक्षर से लॉक करना सुनिश्चित करें, जिससे कोई छात्र छात्रवृत्ति से वंचित न रह जाए।

संलग्नक-जिला कल्याण अधिकारी द्वारा प्रेषित पत्र की छायाप्रति।

भवदीय

कुलसचिव,

सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,  
सिद्धार्थनगर।

3/2/25

पत्रांक 574/सूचना/2025

दिनांक- 28/02 /2025

प्रतिलिपि, निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अधिष्ठाता छात्र कल्याण, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर।
2. समस्त प्राचार्य/प्राचार्या सम्बद्ध सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर।
3. जिला समाज कल्याण अधिकारी, सिद्धार्थनगर।
4. निजी सचिव, कुलपति को कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ।
5. प्रभारी कोडिंग सेल को इस निर्देश के साथ कि उक्त सूचना विश्वविद्यालय के वेबसाइट तथा कालेज लॉगिन पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
6. गार्ड फाइल में संरक्षित हेतु।

कुलसचिव,

सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,  
सिद्धार्थनगर।

## प्रेस विज्ञापित

वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य सरकार द्वारा संचालित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, समान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत उ0प्र0 शासन, समाज कल्याण अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-32/2025/473/26-3-2025/C.N-1513982 दिनांक 21 फरवरी, 2025 द्वारा नवीन संशोधित समय-सारणी निर्गत की गयी है, जो निम्नवत है :-

क्र० सं०	प्रक्रियात्मक कार्यवाही	समयावधि दशमोत्तर छात्रवृत्ति (2024-25)
1	जिला समाज कल्याण अधिकारी के स्तर से पाठ्यक्रम में स्वीकृत सीटों के सापेक्ष लॉक त्रुटिपूर्ण सीटों की संख्या को रिसेट के उपरान्त शिक्षण संस्था द्वारा सीटों की सही संख्या को डिजिटल हस्ताक्षर से लॉक करना।	01 मार्च से 02 मार्च 2025 तक
2	विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी द्वारा एडिट किये गये सीटों की संख्या की प्रमाणिकता को चेक करके लॉक करना।	03 मार्च से 04 मार्च 2025 तक
3	विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी/जिला विद्यालय निरीक्षक (11-12) द्वारा वर्गवार वास्तविक छात्रों की संख्या आदि को डिजिटल सिग्नेचर से आनलाइन सत्यापित/प्रमाणित करना एवं अपात्र छात्र, पाठ्यक्रम व संस्था को ब्लाक करना।	10 मार्च से 12 मार्च 2025 तक

जनपद में स्थित जिन संस्थाओं ने सक्षम स्तर से स्वीकृति सीटों के सापेक्ष मास्टर डाटा में कम सीट लॉक किया है वो संस्था उपरोक्त तिथि में मास्टर डाटा में सीटों की संख्या को रिसेट करने हेतु अधोहस्तरी के कार्यालय में दिनांक 01 मार्च 2025 अपराह्न 2.00 बजे तक पत्र के माध्यम से सूचित करने का कष्ट करे, सीट रिसेट होने के उपरान्त संस्था स्तर से मास्टर डाटा में पुनः सक्षम स्तर से स्वीकृत सीटों को लॉक किया जाना है।

अतः समस्त सम्बन्धित को पुनः सूचित किया जाता है कि शासन के मंशा के अनुरूप उपरोक्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, समान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत निर्गत की गई नवीन जारी समय-सारणी का दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना का कियान्वयन करने का कष्ट करे।

(महिपाल सिंह)

जिला समाज कल्याण अधिकारी  
सिद्धार्थनगर

### कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी सिद्धार्थनगर।

पत्रांक ५१-११२/स०क०/दशा०छात्र०/समय-सारणी/2024-25

दिनांक 2६ फरवरी, 2024

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- निदेशक, समाज कल्याण, उ०प्र०, लखनऊ।
- जिलाधिकारी, महोदय सिद्धार्थनगर।
- मुख्य विकास अधिकारी, महोदय सिद्धार्थनगर।
- उपनिदेशक, समाज कल्याण बस्ती, मण्डल बस्ती।
- कुल सचिव सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर को इस आशय के साथ प्रेषित कृपया अपने स्तर से भी सम्बन्धित शिक्षण संस्थाओं को निर्देशित/संसूचित करने का कष्ट करें।
- जिला विद्यालय निरीक्षक, सिद्धार्थनगर को इस आशय के साथ प्रेषित कृपया अपने स्तर से भी सम्बन्धित शिक्षण संस्थाओं को निर्देशित/संसूचित करने का कष्ट करें।
- जिला सूचना अधिकारी, सिद्धार्थनगर को इस आशय के साथ प्रेषित है कि छात्रहित में इसे समस्त हिन्दी/उर्दू समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, सिद्धार्थनगर को इस आशय के साथ प्रेषित कि छात्रहित में उक्त विज्ञापित को जनपद सिद्धार्थनगर की वेबसाइट पर प्रदर्शित कराने का कष्ट करें।
- जिला अल्पसंख्यक वर्ग कल्याण अधिकारी/जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी सिद्धार्थनगर।

जिला समाज कल्याण अधिकारी  
सिद्धार्थनगर